

FRIDAY, JULY 5, 2019

FRIDAY, JULY 5, 2019

26



CIN: L31200GJ2004PLCM
Website: www.torrentpower.com
Email: cs@torrentpower.com

NOTICE OF

NOTICE is hereby given that
2019 at 9:30 am at J. B. Auditorium

The Notice of the AGM along with
Form has been e-mailed to the members
physical copies of the same are also

The Notice of the AGM along with
and of Central Depository Services
office of the Company during the business hours
will be available for inspection

Remote E-voting:

Pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013
("the Rules") and regulations made thereunder, the Company
provide to its members the facility of e-voting for the AGM
of the AGM of the Company. The details of the e-voting system
forming part of the Notice are as follows:

The details pursuant to the provisions of the Rules are as follows:

1. Cut-off date for the purpose of e-voting
2. Date and time of commencement of e-voting
3. Date and time of end of e-voting

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

FINANCIAL EXPRESS

Signature of the Officer Authorised
to issue summons

REGISTRAR
Debts Recovery Tribunal, Jaipur

absolute right to accept or reject any or all of the shares
thereof from the auction proceedings at any stage
the name of the purchaser(s)/ applicant (s) only
rule/conditions prescribed under the Securities and Exchange
Act, 2002.

Note: Auction will be held on 07.08.2019
Dated: 05.07.2019



ATLAS CYCLES (HARYANA) LIMITED

Regd. Office: Industrial Area, Atlas Road, Sonapat - 131001
CIN No: L35923HR1950PLC001614, Tel.: 0130-2200001-06, Fax: 0130-2200018
Email: companysecretary@atlasbicycles.co.in Website: www.atlasbicycles.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS

For Transfer of shares to Investor Education and Protection Fund (IEPF)

Shareholders are hereby informed that pursuant to the provisions of Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("The Rules") the dividend declared during the financial year 2010-11 which remained unclaimed for a period of seven years has been credited to the IEPF on 7th June, 2019. The corresponding shares on which dividend was unclaimed for seven consecutive years will also be transferred as per the procedure set out in the Rules.

The company will not transfer such shares to the IEPF where there is a specific order of court/tribunal restraining any transfer of such shares or where the shares are hypothecated/pledged under the Depositories Act, 1996.

In compliance to the rules, the company has communicated individually to the concerned shareholders and the full details of such shares liable to be transferred to IEPF are also available on our website: www.atlasbicycles.com. Shareholders are requested to refer the link to verify the details of unencashed dividend and the shares that are liable to be transferred to the IEPF.

Kindly note that the company has already transferred the amount of dividend which remains unpaid/unclaimed for more than 7 years for year ended March 31, 2011 to the Investor Education and Protection Fund (IEPF). Therefore, any claim by any shareholder regarding unclaimed dividend for such year shall be done to Investor Education and Protection Fund Authorities and not to the company.

Therefore, Shareholders are requested to claim the dividend declared during the financial year 2011-12 and onwards before the same is transferred to IEPF.

The concerned shareholders, holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF, may note that the company would be issuing duplicate share Certificate(s) in lieu of the original share certificate(s) held by them for the purpose of transfer of shares to IEPF as per the rules and upon such issue, the company shall inform the depository by way of corporate action to convert the duplicate share certificates into DEMAT form and transfer in favour of IEPF. The original share certificate(s) which stand registered in their name will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. Concerned shareholders holding shares in dematerialized form may note that the company shall inform the depository by way of corporate action for transfer of shares in favour of the DEMAT account of the IEPF.

The shareholders may further note that the details uploaded by the company on its website should be regarded and shall be deemed adequate notice in respect of issue of the duplicate share certificate(s) by the company for the purpose of transfer of shares to IEPF pursuant to the Rules.

In case the company does not receive any communication from concerned shareholders on or before 24.09.2019, the company with a view to adhering with the requirements of the Rules, transfer the shares to IEPF by 30.09.2019.

The shares on which dividend is unclaimed for seven consecutive years since financial year 2010-11 shall also be transferred to IEPF. Shareholders may claim the dividend and corresponding shares transferred to IEPF including all benefits accruing on such shares, if any, from the IEPF authorities following the procedure prescribed in the rules.

In case of any query/ further information/ information/ clarification on above matter, shareholders are requested to contact the company's Registrar and Share Transfer Agent M/s MAS SERVICES LIMITED at T-34, 2nd Floor, Block T, Okhla Industrial Estate Phase 2, New Delhi, Delhi 110020. Phone: 011 2638 7281; email id: info@masserv.com.

Place: Sonapat, India
Date: 05.07.2019

For Atlas Cycles (Haryana) Limited
Sd/-
Nikhil Bindal
(Company Secretary)

21. क्या जार ई-मेल, जो समाधान प्रयास-नल के साथ पत्रचार के लिए प्रयुक्त किया जाना है

पृष्ठा: 31-130, सारदा 1981ए, नई दिल्ली-110078
 ईमेल: dirp.rgt@gmail.com /
contactshulgupta@gmail.com

अंशुल गुप्ता

समाधान पेशवर

दिनांक: 05/07/2019

स्थान : नई दिल्ली

आईपी पंजीकरण संख्या: IBB/PA-002/IP-N00310/2017-18/10899

एटलस साइकल्स (हरियाणा) लिमिटेड

पंजी. कार्यालय: इंडस्ट्रियल एरिया, एटलस रोड, सोनीपत-131001

CIN No. L35923HR1950PLC001614, टेली: 0130-2200001-06, फैक्स: 0130-2200018
वेबसाइट: www.atlasbicycles.com

IN No. L35923HR1950PLC001614, टला: 0130-2200001-02,
 सचिव: secretary@atlasbicycles.co.in, वेबसाइट: www.atlasbicycles.com

श्रेयधारकों के लिये सूचना

(निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष (आईईएफएफ) प्राधिकरण में शेयरों के अंतरण के लिये)
एतद्वारा शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखा, ऑडिट, अंतरण तथा रिफंड) नियमावली, 2016 ("नियमावली") के प्राधान्तों के अनुपालन में वित्त वर्ष 2010-11 अंतरण तथा रिफंड के दौरान घोषित लाभार्थी को पिछले सात वर्षों को अवधि से दावा-रहित रहा है, कि 7 जून, 2019 को आईईएफएफ में क्रेडिट कर दिया गया है। तथापीन शेयरों लिये प्र लागूभार सता वर्षों से लाभार्थी दावा-रहित था, को भी नियमावली में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार अंतरित किया जायेगा।

कम्पनी ऐसे शेयरों को आईईपीएफ में अंतरित नहीं करेगी जहाँ ऐसे शेयरों के किसी भी अंतरण पर न्यायालय/अधिकरण के आदेश विशेष द्वारा प्रतिबंध लगी है अथवा जहाँ शेयर डिपोजिटरीन अधिनियम, 1996 के अंतर्गत हाइपोथेकेट/गिरवी हैं।

निष्ठावाली के अनुपालन में कम्पनी ने संबंधित शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से सूचित कर दिया है तथा आईईपीएफ में अंतरित किये जाने वाले ऐसे शेयरों का सम्पूर्ण विवरण हमारी वेबसाइट: www.atlasbicycles.com पर उपलब्ध है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि आइएफएसएल लाभांश तथा आईईपीएफ में अंतरित किये जाने वाले शेयरों के विवरणों की जाँच के लिये लिंक देखें।

किये जान वाले शेरों का विवेचना को जोय के अन्तर्गत आये।
 कृपया ध्यान रहे कि कमनी नो 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिये लाभार्थी राशि जो 7 वर्षों से अधिक स
 अप्रदत्त दावा-रहित रही थी, को निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष (आईडीपीएफ) में पहले ही अंतरित कर दिया
 है। अतःव, ऐसे शेरों के दावा-रहित लाभार्थी के संदर्भ में कोई भी शेरधारक अपना दावा निवेशक शिक्षा तथा

है। अतएव, ऐसे शेयरों को दीर्घा-होत लाभार्थी के सर्वोपरि हितों के संरक्षण को प्राथिकता में करके न कि इस कम्पनी में अतएव, शेयरधारकों से अनुरोध है कि कित्त वर्ष 2011-12 के दौरान घोषित लाभार्थी का इससे पहले को उसे आईईपीएफ में अंतरित किया जाये, अपना दावा प्रस्तुत करें।

भौतिक पद्धति में शेयर धारित करने वाले व्यक्तिगत शायदवाक्य निम्नलिखित हैं—
जाँचना, यह ध्यान रखें कि कम्पनी नियमावली के अनुसार आईपीएफ में शेयरों के अंतरण के लिये उनके द्वारा
धारित मूल शेयर प्रमाण पत्र (जें) की जगह डुप्लिकेट शेयर प्रमाण पत्र (जें) जारी करेंगे तथा उसे जारी करने
के लिये नए नमूने में डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्रों को रूपांतरित करने तथा आईपीएफ के पक्ष में अंतरण के लिये

के उपरांत डीमैट में डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र को रूपोपांतरित करने तथा जोड़ने का कार्य कॉर्पोरेट कार्रवाई के द्वारा डिपॉजिटरी को सूचित कराये। उनके नाम में पंजीकृत मूल शेयर प्रमाणपत्र (जें) स्वतः निरस्त हो जाणेंगे तथा उस उद्देश्य पर आधारित रवों की आईडीपीएफ की डीमैट खाता के पक्ष में शेयरों के अंतरण के लिये कम्पनी लिमिटेड से शाखा या अन्य रास्ते की आईडीपीएफ की डीमैट खाता के पक्ष में शेयरों के अंतरण के लिये कम्पनी

संबंधित शेयरधारक यह ध्यान रखें कि आईडिपोफ को डामट खोता के पक्ष में शेयरों के जारी होने के लिए कॉर्पोरेट कार्रवाई द्वारा डिपॉजिटरी को सूचित करेगी।
शेयरधारक यह भी ध्यान रखें कि उसकी वेबसाइट पर कम्पनी द्वारा अपलोड की गई विवरणों को नियमावली के अनुसार जारी होने वाले शेयरों के अंतरण के लिए कम्पनी द्वारा डिप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र (त्रों) को जारी करने के लिए प्रमाणित किया जाएगा।

करने के संदर्भ में पर्याप्त सूचना माना जायेगा।
यदि कम्पनी 24.09.2019 को या उससे पूर्व संबंधित शेयरधारकों से कोई सूचना प्राप्त नहीं करती है तब भी वह सूचना देना आवश्यक माने के देखिये से कम्पनी 30.09.2019 तक शेयरों को आईडीपीएफ में

नियमावली की अपेक्षाओं का अनुसरण करने के उद्देश्य से कम्पनी 30.09.2019 तक शेयरों का आइईपीएफ में अंतरित करेगी।

किया जायेगा। ऐसी शैयों पर उपचयित सभी लाभों, यदि कोई, हो, सहित आईपीएफ में अन्तर्गत लाभों का प्रत्यास्थानीय शैयों के लिये शेयरधारक नियमावली में निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण कर आईपीएफ प्राधिकरणों से प्राप्त करने का दावा कर सकते हैं।

उपरोक्त विषय पर किसी प्रकार की पुष्टता/आगे जानकारी/सूचना/स्पष्टीकरण के लिये शेषधारकों से अनु-
प्रेषित की टी-34, 2रा तल, ब्लॉक टी, ओखला इंडस्ट्रियल इस्टेट फेज-2, नई दिल्ली, दिल्ली 110020; फो-
011-26387281, ईमेल आईटी-info@masserv.com पर कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा शेष्य अंतरण एजे-

मैं
री

एटलस साइकल्स (हरियाणा) लिमिटेड के लिये
हस्ता./-

न विन्दल

निखिल बिन्दल
(कम्पनी सचिव)

स्थान: सोनीपत, भारत

दिनांक: 5.7.2019



रानी झांसी रोड, नई दिल्ली 110055 फोन : 011-23610400,
Email: ro1008@sib.co.in CIN: L65191KL1929PLC001017

[देखें नियम 8 (1)]

कब्जा सूचना

कला सूचना

जबकि, अधोहास्ताक्षरी ने दि साउथ इंडियन बैंक लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत एक नया सूचना दिनांकित 16-02-2019 जारी की थी, जिसमें कज्जिदार (1) श्री सुरेन्द्र डुटेजा, पुत्र श्री नारायण लाल डुटेजा, चाम्बी मैसर्स श्री राम एंटरप्राइजेज, दुकान नंबर 7, एचबीसी मार्केट, पुरोषोत्तम लाल डुटेजा, चाम्बी मैसर्स श्री राम एंटरप्राइजेज, दुकान नंबर 7, एचबीसी मार्केट, सेक्टर-31, गुडगांव-122001, अन्य पता: मकान नंबर 1497, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, सेक्टर-31, गुडगांव-122001, और गारररररर (2) श्रीमती नीतू डुटेजा, पत्नी श्री सुरेन्द्र डुटेजा, मकान नंबर 1497, गुडगांव-122001, और गारररररर (3) श्रीमती किरण बाला, पत्नी स्व. श्री हाउसिंग बोर्ड कालोनी, सेक्टर-31, गुडगांव-122001, (4) श्रीमती मधु बाला, पत्नी स्व. श्री ईश्वर चंद, 94/4, 4 मरला कालोनी, गुडगांव-122001 तथा (5) श्रीमती मधुबाला और (6) श्री उमेश कुमार आहूजा, 94/4, 4 मरला कालोनी, गुडगांव-122001 तथा (5) श्रीमती मधुबाला और (6) वारिसों के रूप में, क्रमशः (6) तथा (6) द्वारा स्व. श्री ईश्वर चंद से उत्तराधिकार में प्राप्त सम्पदा की सीमा तक, से सूचना में वर्णित बकाया राशि रु. 50,38,961.00 (—) (रूपए पचास लाख अड़तीस हजार नौ सौ इकसठ तथा पचास पैसे छह मात्र) का भुगतान आगे व्याज और लागतों सहित उक्त सूचना की प्राप्ति से 30 दिनों के 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी।

को प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने का मांग की गई थी।
कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्वारा कर्जदारों और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोऋणकारी ने प्रतिभूति हिरण (पूर्वतन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का **सांकेतिक कब्जा 01 जुलाई, 2019** को प्राप्त कर लिया है।
कर्जदार को विशेष रूप से तथा जनसाधारण को सामान्य रूप से इस संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार साउथ इंडियन बैंक लि. की दिनांक 30-06-2019 तक कार्या राशि रु. 52,79,693.58/- (रुपय बावन लाख पचासी हजार छह सौ तिरावन तथा पैसे अठ्ठावन मात्र) और उस पर ब्याज तथा लागत का भुगतान करने के बाद ही किया जा सकता है।

अचल सम्पत्ति का वर्णन

आइटम नंबर 1 :

आइटम नंबर 1 :
श्रीमती किरण बाला के नाम में 4 मरला, तहसील एवं जिला गुडगांव स्थित आवासीय सम्पत्ति मकान नंबर 2198, परिमाण 51 वर्ग गां, उसके ऊपर निर्मित सभी निर्माणों/सुधारों सहित, के सभी अंश एवं खंड। सम्पत्ति का अधिक विस्तृत विवरण एसआरओ गुडगांव की सील डीड नंबर 12020 दिनांकित 04-01-2001 के तहत वर्णित किया गया है। चौहदरी: उत्तर : आत्मा राम का मकान, दक्षिण : कोडा राम का मकान, पूरव : संत राम का मकान, पश्चिम : रोड।

आइटम नंबर 2

आइएम नंबर 2 :
 श्री सुरेन्द्र टुंगेरा के नाम में ग्राम गुडगांव, तहसील और जिला गुडगांव की राजस्व सम्पदा के भीतर स्थित असुर नगर (अब राज नगर के नाम से ज्ञात) में खसरा नंबर 1040/1/17 में शामिल व्यवसायिक सम्पत्ति परिसमा 12.7 वर्ग जमी, यमुकान नंबर 533/61/18 उसके ऊपर निर्मित सभी निर्माणों, सुधारों सहित, के सभी अंश एवं खंड। सम्पत्ति का अधिक विस्तृत विवरण एसएसओ गुडगांव की सेल डीड नंबर 9709 दिनांकित 05-11-1999 के तहत वर्णित किया गया है। चौदहदी : उत्तरतः नरेन्द्र कुमार सुधाना का मकान, दक्षिण : रोड, पूर्व : श्रीमती राजा बाला पश्चिम : नरेन्द्र कुमार सुधाना के दुकान।

आइटम नंबर 3 :

आइटम नंबर 3 : श्री ईश्वर चंद एवं श्रीमती मधु बाला के संयुक्त नाम में गुडगांव की राजस्व सम्पदा तथा एम.सी. सीमा के भीतर 4/8 भरणा, माडल टाउन, गुडगांव स्थित आवासीय सम्पत्ति मकान नंबर 94/4, परिमाण 456 वर्ग गज, उसके ऊपर निर्मित सभी निर्माणों, सुधारों सहित, के सभी अंश एवं खंडों सम्पत्ति का अधिक विस्तृत विवरण एसआरओ गुडगांव की सेल डीअर नंबर 4519 दिनांकित 24-07-2000 के तहत वर्णित किया गया है। चौहद्दी : उत्तर : रोड, दक्षिण : श्री मिश्रा का मकान पर्वर : राधे श्याम की सम्पत्ति, पश्चिम : रोड।

प्राधिकृत अधिकारी

दि साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड

नई दिल्ली



ATLAS CYCLES (HARYANA) LIMITED

Regd. Office: Industrial Area, Atlas Road, Sonapat - 131001
CIN No: L35923HR1950PLC001614, Tel. : 0130-2200001- 06, Fax : 0130-2200018
Email : companysecretary@atlasbicycles.co.in Website: www.atlasbicycles.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS

For Transfer of shares to Investor Education and Protection Fund (IEPF)

Shareholders are hereby informed that pursuant to the provisions of Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, transfer and Refund) Rules, 2016 ("The Rules") the dividend declared during the financial year 2010-11 which remained unclaimed for a period of seven years has been credited to the IEPF on **7th June, 2019**. The corresponding shares on which dividend was unclaimed for seven consecutive years will also be transferred as per the procedure set out in the Rules.

The company will not transfer such shares to the IEPF where there is a specific order of court/tribunal restraining any transfer of such shares or where the shares are hypothecated/pledged under the Depositories Act, 1996.

In compliance to the rules, the company has communicated individually to the concerned shareholders and the full details of such shares liable to be transferred to IEPF are also available on our website : www.atlasbicycles.com. Shareholders are requested to refer the link to verify the details of unencashed dividend and the shares that are liable to be transferred to the IEPF.

Kindly note that the company has already transferred the amount of dividend which remains unpaid/ unclaimed for more than 7 years **for year ended March 31, 2011** to the Investor Education and Protection Fund (IEPF). Therefore, any claim by any shareholder regarding unclaimed dividend for such year shall be done to Investor Education and Protection Fund Authorities and not to the company.

Therefore, Shareholders are requested to claim **the dividend declared during the financial year 2011-12** and onwards before the same is transferred to IEPF.

The concerned shareholders, holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF, may note that the company would be issuing duplicate share Certificate(s) in lieu of the original share certificate(s) held by them for the purpose of transfer of shares to IEPF as per the rules and upon such issue, the company shall inform the depository by way of corporate action to convert the duplicate share certificates into DEMAT form and transfer in favour of IEPF. The original share certificate(s) which stand registered in their name will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. Concerned shareholders holding shares in dematerialized form may note that the company shall inform the depository by way of corporate action for transfer of shares in favour of the DEMAT account of the IEPF.

The shareholders may further note that the details uploaded by the company on its website should be regarded and shall be deemed adequate notice in respect of issue of the duplicate share certificate(s) by the company for the purpose of transfer of shares to IEPF pursuant to the Rules.

In case the company does not receive any communication from concerned shareholders on or before 24.09.2019, the company with a view to adhering with the requirements of the Rules, transfer the shares to IEPF by **30.09.2019**.

The shares on which dividend is unclaimed for seven consecutive years since financial year 2010-11 shall also be transferred to IEPF. Shareholders may claim the dividend and corresponding shares transferred to IEPF including all benefits accruing on such shares, if any, from the IEPF authorities following the procedure prescribed in the rules.

In case of any query/ further information/ information/ clarification on above matter, shareholders are requested to contact the company's Registrar and Share Transfer Agent M/s MAS SERVICES LIMITED at T-34, 2nd Floor, Block T, Okhla Industrial Estate Phase 2, New Delhi, Delhi 110020 ; Phone: 011 2638 7281; email id- info@masserv.com.

For Atlas Cycles (Haryana) Limited

Sd/-

Nikhil Bindal

(Company Secretary)

Place : Sonapat, India

Date : 05.07.2019